404
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 4, 5

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : 1 फरवरी 1989 ई०
वृहस्पतिवार, दिनांक : 2 फरवरी 1989 ई०

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार तिथि 1 फरवरी, 1989 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार तिथि 1 फरवरी, 1989 को पूर्वाहन 11:00 बजे अध्यक्ष, श्री शिवचन्दन पासवान के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री लहटन चौधरी : नदी के किनारे बसे गांव में थोड़ा-बहुत कटाव होता रहता है। प्रश्नाधीन गांव में कई नदी से कटाव हुआ है। लेकिन भीषण कटाव की जानकारी विभाग को नहीं है। सीमित साधनों के कारण इस तरह के ग्राम सुरक्षा कार्य हाथ में लेना संभव प्रतीत नहीं होता है। बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा भी इसकी स्वीकृति नहीं है।

श्री मो० मुस्ताक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बताया कि उनके विभाग को जानकारी नहीं है कि कहां कटाव हो रहा है जबकि हर साल अंचल कार्यालय से वहां लाखों रुपये बचाव कार्य के लिये दिये जाते हैं । अभी वहां भयंकर रूप से कटाव हो रहा है, मंदिर और मकान कट गये हैं। अब मैं महत्वपूर्ण सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण संगठन...

श्री गणेश प्रसाद यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उनको यह पता नहीं है कि महात्मा

गांधी का जन्म कब हुआ। उनकी गांधी जी की जन्मतिथि में हेरफेर नजर आता है। यह अखबार में निकला है।

अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मो० मुस्ताक : क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के कटाव से आर.ई.ओ. की सड़क के बचाव के लिए वर्ष 1986-87 में 2 लाख 5 हजार, 1987-88 में 2 लाख 35 हजार और वर्ष 1988-89 में 1 लाख 7 हजार रुपया का बोगस खर्च दिखाया गया है लेकिन इन तीन वर्षों की अवधि में आर.ई.ओ. की डेढ़-दो कि०मी० सड़क कट गयी और अगस्त, 1988 में कई नदी की धारा महानन्दा नदी में मिल गयी है और आवागमन अवरुद्ध हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब कटाव नहीं हुआ तो खर्च कैसे दिखाया गया।

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बतलाया है कि मेरे विभाग से ऐसा कार्य शुरू नहीं किया गया है और न शुरू करने की कोई योजना है। गांव में जो छोटा-मोटा कटाव होता है उसको दूसरा विभाग करता है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करता होगा जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा। मेरे यहां से नहीं हो रहा है और न कोई योजना है।

श्री मो० मुस्ता : क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन एवं जिलाधिकारी, पूर्णिया, मई 1988 और 23 सितम्बर 1988 को बंगलवाड़ी जाकर कटाव से प्रभावित उक्त स्थल का दौरा किये थे और उनलोगों ने प्रतिवेदन दिया है कि यहां बचाव करना बहुत जरूरी है नहीं तो नदी की धारा महानन्दा नदी में, जो यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें मिल जायगी और लाखों लोगों को क्षति होगी ?

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के संबंध में जिक्र कर रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सरकार को लिखा होगा। इस विभाग का सरोकार नहीं है। मैं इसको इन्कार नहीं करता हूं कि वहां कटाव नहीं होता है, होता होगा, लेकिन मेरे विभाग से सरोकार नहीं है।

श्री मो० मुस्ताक : जिला पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि नदी से गांव कट रहा है, 300 घर कट गये हैं, इसलिये सिंचाई विभाग कटाव का काम करेगा।

श्री लहटन चौधरी : अभी इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मो० मुस्ताक : क्या यह बात सही है कि 7 जुलाई 1986 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री बिन्देश्वरी दूबे ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की उपस्थिति में उक्त गांव को कटाव से बचाने के लिये सचिव सिंचाई विभाग को आदेश दिया था।

श्री लहटन चौधरी : अभी इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मो० मुस्ताक : मेरे पास प्रमाण है।

अध्यक्ष : आप प्रमाण इनको लिखकर दे दीजिये।

श्री मो० मुस्ताक : मैं चुनौती देता हूँ कि आज तक उस जगह के बचाव के लिये 6 लाख रुपया खर्च किया गया है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और बरसात के पूर्व कटाव को रोकने की व्यवस्था करेगी ? कोई विभाग काम करे।

श्री लहटन चौधरी : माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई विभाग करे। यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। मैं संबंधित विभाग से बात करूंगा।

श्री अजीत चन्द सरकार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि काफी लोगों को क्षति हुई है, क्या सरकार इस बात की जांच कराकर जितने लोगों को क्षति हुई है उसको क्षतिपूर्ति देगी ?

अध्यक्ष : मंत्री महोदय का कहना है कि यह इनके विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री अजीत चन्द सरकार : मैं सरकार से यह कहता हूं कि गांव कटा है और लाखों की क्षति हुई है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था करेगी और उचित क्षतिनामा देगी ?

अध्यक्ष : इनका कहना है कि इनके विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री अजीत चन्द सरकार : बाढ़ से कटा है। अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री विनायक प्रसाद यादव : बाढ़ से कटाव हुआ है और बाढ़ से सम्बन्धित मंत्री श्री लहटन चौधरी हैं, पानी रिसोर्सेज के ये मंत्री हैं। जब नदी से गांव कट रहा है जो उसे बचाने के लिए कोन विभाग उत्तरदायी है । कनकई नदी की बाढ़ से गांव कट रहा है तो ये नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ?

श्री मो० मुस्ताक : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप इनको लिखकर दे दीजिये।

श्री मो० मुस्ताक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के उत्तर को चुनौती देता हूं । पूरा गांव कट गया है।

अध्यक्ष : आप चैलेन्ज किस बात का कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कनकई नदी से भयंकर कटाव जारी है। नदी सिंचाई विभाग का नहीं है तो किसका है ?

श्री लहटन चौधरी : सारी नदियां सिंचाई विभाग की नहीं हुआ करती हैं। सिंचाई विभाग जिन-जिन कामों को लेता है, वह अपनी राशि की उपलब्धता के मुताबिक लेता है। अभी इसकी कोई योजना हमारे पास नहीं है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कटाव हो रहा है तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर कटाव रोकने की व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जांच करवा दी जाय।

श्री लहटन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करवा लूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिये न कोई योजना स्वीकृत है और न कोई राशि उपलब्ध है।

श्री मो० मुस्ताक : अध्यक्ष महोदय, 7 साल से कटाव हो रहा है, इसकी जांच ये कब तक करायेंगे। जून 89 से पहले काम होगा या नहीं।

(कोई उत्तर नहीं)

(माननीय सदस्य मो० मुस्ताक सदन के मध्य में आकर बैठ गये)

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : आपने कहा कि जांच करवा दीजिये, ये जांच करवा देंगे।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कई बार उठाया गया है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी भी इस संबंध में मंत्री से उस समय बात किये थे और मंत्री ने आश्वस्त किया था कि इसकी जांच करवा देंगे। हम चाहते हैं आप जांच इसकी करवा दें और कटाव रोकवाने की व्यवस्था कर दें।

श्री लहटन चौधरी : मैंने कहा कि मैं इसकी जांच करवा दूंगा, लेकिन कार्रवाई के लिए अभी मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ कि क्योंकि इसके लिए राशि उपलब्ध नहीं है।

(पुनः सदन में शोरगुल, माननीय सदस्य श्री मो० मुस्ताक सदन के मध्य में आकर बोलते रहें)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर सरकार सिंचाई विभाग से नहीं बनवा सकती है तो रिलीफ के पैसा से बनवा दें। रिलीफ का पैसा पड़ा हुआ है, 22 कि०मी० सड़क टूट गयी है तो रिलीफ के पैसा से सड़क बनवायी जा सकती है। आप इस पर कुछ डायरेक्शन दीजिये।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री रघुनाथ झा : सड़क कट गयी है और काफी सम्पत्ति की बर्बादी हुयी है, इसको किसी तरह से बनवा दिया जाय, चाहे कोई विभाग करे।

श्री भागवत झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं उठला है कि मैं इसे बनवाना नहीं चाहता है, लेकिन प्रश्न यहां सीमित साधन का है। 324 सदस्य है, और उनके अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें हैं। मैं प्रयास करता हूं कि अपने सीमित साधन में माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं,

कटाव को रोकने की, स्कूल भवन बनवाने की, सड़क बनवाने की, उसको बनवा दें, लेकिन हर सदस्यों की बात को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सदन में जो आप कहें, और उसको मैं कर देने का वादा कर दूं तो उससे पूरा नहीं होगा, क्योंकि साधन सीमित है। इसलिये सरकार ने जबाव दिया कि इसकी जांच करायेंगे और जांच करके जहाँ तक संभव होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर

कटाव से सुरक्षा

6.. श्री मो० मुश्ताक–क्या मंत्री, जल संसाधान विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत कोपाधान प्रखंड के बंगलवाड़ी ग्राम में पूर्वी कनकई नदी का कटाव 7 वर्षों से जारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के कटाव से बंगलबाड़ी ग्राम के दो सौ कच्चे-पक्के मकान तथा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के पक्की पथ सं० 50 (मोजाबाड़ी से सिंधारी तक) 2 कि० मी० दो वर्षों में कट गयी है जिससे सवारी गाड़ी का आवागमन बन्द है;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 7 जुलाई 1986 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के सचिव को उक्त ग्राम तथा सड़क को कटाव से सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था;